

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 13-8-08 को मासिक समीक्षा बैठक के दौरान कुछ अधिकारियों द्वारा रजिस्टर आर-2 का प्रारूप न उपलब्ध कराये जाने के बारे में प्रश्न उठाया गया था। इस संदर्भ में रजिस्टर आर-2, जिसमें रिटर्न और कर के जमा का विवरण दर्ज किया जाना है, का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। इस प्रारूप में टैक्स पीरियड वार मासिक तथा त्रैमासिक, जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार सभी व्यापारियों के रिटर्न के आंकड़ों की प्रविष्टि की जायेगी। जब तक रिटर्न की फीडिंग कम्प्यूटर पर पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक इसी रजिस्टर में प्रविष्टियाँ की जाती रहेंगी। कम्प्यूटर में रिटर्न की फीडिंग होने पर इसी प्रारूप में रिपोर्ट जनरेट होगी। इस प्रारूप में GTO, NTO आदि का तात्पर्य निम्न से है:-

- | | | | |
|-------|-------|---|---|
| (i) | GTO | - | Gross Turnover of Sales. |
| (ii) | NTO | - | Net Turnover of Sales. |
| (iii) | AITC | - | Admissible Input Tax Credit
= Input Tax Credit - Reverse Input Tax Credit. |
| (iv) | GPTO | - | Gross Purchase Turnover. |
| (v) | NPTO | - | Net Purchase Turnover. |
| (vi) | CST | - | Central Sale Tax. |
| (vii) | UPVAT | - | Uttar Pradesh Value Added Tax. |

कृपया इसकी पर्याप्त प्रतियाँ कराकर सभी कर निर्धारण अधिकारियों को उपलब्ध करा दें तथा आर-2 रजिस्टर भी इसी प्रारूप में बनवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(दीपक कुमार)

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक - उक्त।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. श्री एस0सी0डि०वेदी/श्री यू0सी0दीक्षित, संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0।
4. समस्त एडीशनल कमिश्नर/ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
5. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
6. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)/(वि0अनु0शा0)/(अपील)/कॉरपोरेट सर्किल/ऑयल सेक्टर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
7. ज्वाइन्ट कमिश्नर (फार्मर्स) वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सम्भाग में पर्याप्त मात्रा में ई0ई0सिरीज के टिकट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
9. ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, गाजियाबाद।
10. ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर, उच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, इलाहाबाद/लखनऊ।
11. मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5-5 तथा 10 प्रतियाँ।
12. वैट अनुभाग को 50 प्रतियाँ तथा विधि अनुभाग, वाणिज्य कर मुख्यालय को 25 प्रतियाँ।
13. समस्त डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
14. समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।

(दीपक कुमार)

कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।

Format of R-2

•

[illegible]

Assessment Year : 200 - 0

⋮

: (1)-----, (2).

----- (3) -----

_____ (4) _____

[illegible][illegible]